

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7(523)परि/नियम/मु./2018/पार्ट-iv/11/100

जयपुर, दिनांक: 16/05/18

आदेश

ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र का प्राधिकार-पत्र

(देखे:- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 8 ए)

मैसर्स के.टी. एन्टरप्राइजेज, भूखण्ड संख्या 1, राजोरिया चैम्बर्स, मीणा पेट्रोल पम्प के पास, गलता गेट, जयपुर को ई-रिक्शा/ई-कार्ट चालको को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989, के नियम 8ए में अपेक्षित 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है। यह स्वीकृति मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नवीनतम प्रावधानों एवं विभागीय कार्यालय आदेश 16/2018 दिनांक 09.05.2018 की शर्तों के अधीन होगी। मैसर्स के.टी. एन्टरप्राइजेज जयपुर द्वारा राज्य के ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालको हेतु यह प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करना होगा।

(धर्मेन्द्र कुमार)

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)